

23-10-2013 आज पत्रावली देना हुई। एकरा करवाई गई। गादी को अधिवक्ता उपस्थित आवे। पत्रावली का अवलोकन किया। नाथर तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 11-9-13 में उल्लिखित किया है कि ग्राम परचल रसूलपुर परगना व तहसील बिलग्राम स्थित गाटा संख्या 2729/0.384, 2730/0.408, 2737/0.139, 2739/0.318 अशोक कुमार महाविद्यालय ग्राम ससेडा मजरा परचल रसूलपुर द्वारा प्रबन्धक विमलादेवी पुत्री सुरेदार सिंह नि० मो० अन्नपूर्णागर कच्चा माधीगंज हास नि० बजाजा माधीगंज कच्चा माधीगंज के नाम बत्तीर संकमगोष्ठ प्रेषित दर्ज है। उक्त प्लॉटों में महाविद्यालय का भवन निर्मित है व प्रांगण के कार्य में लागू जाता है। उक्त प्लॉटों में कृषि, धागदानी, पशुपालन से निम्न प्रयोजन में लेने के कारण भूमि अन्तर्गत धारा 143 ज०वि० एवं भू० म० अधि० अत्यधिक घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है जिसे तहसीलदार बिलग्राम द्वारा उक्त सिद्धि को ही हस्ताक्षरित किया गया है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता को चुना। नाथर तहसीलदार एवं तहसीलदार बिलग्राम की आख्या दिनांक 11-9-13 से सहमत होते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम परचलरसूलपुर परगना व तहसील बिलग्राम की खतौनी सन् 1420 से 4142550 के खाता संख्या 405 पर अंकित गाटा संख्या 2729/0.3840, खाता संख्या 1023 पर अंकित गाटा संख्या 2730 रकबा 0.4080 खाता संख्या 864 पर अंकित गाटा संख 2737 रकबा 0.1390, 2739 रकबा 0.3160 पर कृषि धागदानी पशुपालन से निम्न अशोक कुमार महाविद्यालय ग्राम ससेडा मजरा परचल रसूलपुर जिला हरदोई द्वारा प्रबन्धक विमलादेवी पुत्री सुरेदार सिंह नि० मो० अन्नपूर्णागर क. माधीगंज का भवन बना होने एवं अत्यधिक उपयोग में लाये जाने के कारण ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत भूराजस्व मुक्त घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति उपनिबन्धक बिलग्राम को भेजी जाये। परवाना अमलवसामय जारी किया जाये। पत्रावली बाट आचरक कार्यवाही बाकिस दफतर की जाये।

(रामकेर सिंह यादव)

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी
तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई।

Handwritten notes and initials on the left margin.

1030 प्रार्थन पत्र प्रेषित होने की 23/10/14
 दिनांक आदेश पत्र दिवस होने की 16/11/12
 दिन का तैयारी में आने 244
 हस्ताक्षर विवरित काली
 नाम

अज्ञात विवर करने वाले का नाम
 हस्ताक्षर
 पता

अमिनेखापाल
 सहायक निरूपिषाजय
 कलेक्टर
 16/11/12